



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

New Delhi: 30.09.2022

No. 2022/HQ/Admin/RTI-1277

श्री भोपाल सिंह
पुत्र श्री नत्थू सिंह
ग्राम बित्तौडा तहसील खतौली
जिला मुज़फ्फरनगर
उत्तर प्रदेश
मोबाइल-9412531110

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन 03.09.2022, जो CGM/मेरठ के कार्यालय द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 30.09.2022 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;

श्री गौरव शर्मा
महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
चतुर्थ मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 01 पृष्ठ

(एस. के. पण्डा)

संयुक्त महाप्रबंधक/प्रशा. (ज. सू. अ.)

011-23454707



डेडीकेटेड फ्रीट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि
भारत सरकार (केल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
(A Government of India Enterprise)
Office: 3rd Floor, Shri Bala Complex, (Opp. Subharti University), Ved
Vyaspuri, By Pass Road, NH-58, Meerut-250002, Telefax: 121-2439040

पत्रांक-एम0टी0सी0/ई0एन0/आर0टी0आई0/मेरठ/भाग-VIII

दिनांक: 28.09.2022

जे.जी.एम./एडमिन (सीपीआईओ),
डीएफसीसीआईएल, कार्पोरेट ऑफिस,
न्यू दिल्ली।

विशय:- जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आवेदनकर्ता भोपाल सिंह पुत्र नत्थू सिंह का प्रार्थना पत्र (प्राप्ति दिनांक 03.09.2022)।

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नवत सूचना
चाही गयी है:-

क्र० सं०	चाही गयी सूचना	उपलब्ध करायी जा रही सूचना
1	दिनांक 11.11.2019 से 20.08.2022 तक पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (आर. एण्ड आर.) के रेलवे द्वारा 5 लाख पचास हजार रुपये किन-किन व्यक्तियों को किस-किस तारीख में जिला सहारनपुर में दिये गये हैं, लिखित सूचना की आव यकता है।	इस सम्बन्ध में अवगत कराया जाता है कि जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-8 की उप धारा (d), (g) & (j) व धारा-11 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।

संलग्नक:- आवेदनकर्ता का प्रार्थना पत्र।

उप परियोजना प्रबन्धक/विद्युत
उप जनसूचना अधिकारी, मेरठ।

प्रतिलिपि:

- (1) मुख्य महाप्रबन्धक/डीएफसीसीआईएल, मेरठ - को सूचनार्थ हेतू प्रेशित है।
- (2) जीएम/एमए/ईसी-III - को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतू प्रेशित है।
- (3) जेजीएम/एमए/ईसी-II - को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतू प्रेशित है।